जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

क्रमांक: जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० /प्रे. 77 दिनांक 21-04-2001

आदेश

विषय:- विद्युत चोरी तथा राजस्व हानि को रोकी जाकर बिजली छीजत कम किये जाने के सम्बन्ध में ।

यह देखा गया हैं कि प्रति वर्ष निगम को बिजली चोरी व छीजत के कारण राजस्व हानि उठानी पड़ रही हैं फलस्वरूप छीजत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं । स्पष्ट हैं कि विद्युत चोरी भी बढ़ रही हैं । कुछ वृत एवं उपखण्ड के ऐसे मामलों में स्थिति बहुत ही खराब हैं । हालांकि सतर्कता शाखा को यह दायित्व सौपा गया हैं कि बिजली चोरी पकड़ें किन्तु परिचालन एवं संधारण में लगे अधिकारियों / कर्मचारियों को भी इस दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता ।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अपने कर्मचारियों से अपेक्षा करता हैं कि सभी कर्मचारी कम से कम जिस गाँव, मोहल्ले में रहते हैं अपने क्षेत्र में टहलते हुये बिजली के खम्बों पर नजर डालें और पता लगावें कहीं डायरेक्ट तार डालकर कोई चोरी तो नहीं कर रहा हैं । ऐसे उपभोक्ता, गैर उपभोक्ता का नाम व पता नोट करलें एवं गुप्त रूप से सूचना अपने सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता को देवें । सूची रिकार्ड के लिये अपने पास डायरी / रजिस्टर में भी नोट करलें । कर्मचारी यह सूचना उस अधिकारी के रजिस्टर में नोट करवायें एवं उसका क्रमांक नम्बर अपने वाले रजिस्टर में नोट करलें जिससे आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन किया जा सकें । यदि किसी क्षेत्र में सीधी लाईन से कोई चोरी करता पाया जायेगा तो यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हैं या सचेत नहीं हैं । ऐसे कर्मचारियों को वहां से तुरन्त सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बदला जा सकता हैं । हर कर्मचारी कम से कम सप्ताह में एक बार अपने उच्चाधिकारी को चोरी करने वालों की सूची उनके रजिस्टर में नोट करवायें । सहायक अभियन्ता / अधिशाषी अभियन्ता इसकी समय-समय पर जांच करेंगे ।

अपेक्षित परिणामों के लिए निम्न निर्देश तुरन्त प्रभावी होंगे :-

1- सम्बन्धित क्षेत्र में पदस्थापित सी०सी०ए०/लाईनमैन/मीटर रीडर एवं अन्य कर्मचारी रोजाना जहाँ तक संभव हो शाम के समय 7.0 बजे से 10.0 बजे के बीच उनके सम्बन्धित क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं और गैर उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही बिजली चोरी की सूचना एक रजिस्टर में इन्द्राज कर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को सूचित करेंगे ।

2- कनिष्ठ अभियन्ता स्वंय भी जहां पदस्थापित हैं वह भी अपने सम्बन्धित क्षेत्र के गांवों में क्रमवार चैकिंग करेगें तथा विद्युत उपभोक्ताओं एवं गैर उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही बिजली चोरी की सूचना एक रजिस्टर में इन्द्राज कर अपने सहायक अभियन्ता को भी सूचित करेगें । सहायक अभियन्ता स्वंय भी अपने क्षेत्र की बिजली चोरी की

जानकारी मिलने पर तुरन्त चैकिंग करेंगे एवं साथ ही सतर्कता अधिकारियों को भी सूचित करेगें ।

कनिष्ठ अभियन्ता सी०सी०ए०/लाईनमैन/मीटर रीडर के माध्यम से बिजली चोरी की सूचना मिलने पर तुरन्त चैकिंग करेंगे साथ ही नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सतर्कता अधिकारियों को भी सूचित करेंगे ।

3- विद्युत चोरी की सूचना संग्रहित किये जाने के लिये सम्बन्धित सहायक अभियन्ता पृष्ठ अंकित कॉपी / रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे जिसका रिकार्ड उनके कार्यालय में रखा जाना चाहिये । उक्त रजिस्टर अधीक्षण / अधिशाषी अभियन्ता एवं सतर्कता अधिकारियों को निरिक्षण के लिये सम्बन्धित सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता / लाईनमैन/ मीटर रीडर / सी०सी०ए० उपलब्ध करवायेंगे ।

4- अधीक्षण अभियन्ता उपखण्डवार उपभोक्ता / गैर उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी की उपर्युक्त सूचना को कम्प्यूटर में इन्द्राज कर उसकी प्रगति नियमित रूप से अनुवीक्षण (मोनिटर) करेंगे । उक्त सूचना किसी भी समय निगम मुख्यालय द्वारा ई-मेल के जरिये मांगी जा सकती है ।

अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता अपने क्षेत्र में बिजली चोरी की सूचना सतर्कता अधिकारियों को सहायक अभियन्ताओं द्वारा नहीं दिये जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे अन्यथा वे भी शिथिलता बरतने के लिये दोषी होगें ।

5- सतर्कता अधिकारियों द्वारा क्षेत्र विशेष में विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा संग्रहित / प्रेषित सूचना के अतिरिक्त किसी भी उपभोक्ता / गैर उपभोक्ता के यहां विद्युत चोरी पकड़े जाने के मामले में यह माना जावेगा कि उस क्षेत्र में पदस्थापित अधिकारियों / कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक नहीं किया है उनके स्थान परिवर्तन एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । ऐसे मामलों में किये गये स्थानान्तरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर की पूर्वानुमति के विचारणीय नहीं होगा ।

6- विद्युत चोरी की सूचना बाहरी व्यक्ति के माध्यम से संग्रहित की जा सकती है । उक्त सूचनाकर्ता को वृत स्तर पर अपना पंजीकरण करवाकर अधीक्षण अभियन्ता से गोपनीय कोडिंग नम्बर लेने होगें । वृत स्तर पर विद्युत चोरी की सूचना देने वाले व्यक्ति (मुखबीर) के पंजीकरण का ब्यौरा संलग्न अनुलग्नक ''अ'' के अनुसार बनाये गये रजिस्टर में रखना होगा । कोडिंग नम्बर लिये जाने के पश्चात सूचनाकर्ता सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता को दूरभाष तथा स्वंय उपस्थित होकर विद्युत चोरी की सूचना दे सकता है । सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता संलग्न अनुलग्नक ''ब'' में बनाये गये रजिस्टर में इन्द्राज कर विद्युत चोरी पकड़ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करेंगे । सूचनाकर्ता को दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि के बारे में वित्तिय सलाहकार द्वारा अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं । कोडिंग नम्बर प्राप्त सूचनाकर्ता द्वारा जोधपुर डिस्कॉम के किसी भी वृत में विद्युत चोरी की दी जाने वाली सूचना मान्य होगी साथ ही वह निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भी हकदार होगा । सूचना कर्ता को वृत स्तर पर क्रमांक युक्त एक डायरी जारी की जाऐगी जिसका प्रारुप संलग्न अनुलग्नक ''स'' में दिया गया है ।

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

अनुलग्नक ''अ''

विद्युत चोरी की सूचना देने वाले व्यक्ति के पंजीकरण हेतु खोले जाने वाले रजिस्टर का प्रारुप

क्रमांक	मुखबीर कोड क्रमांक	मुखबीर का नाम	मुखबीर के पिता का नाम	पता	जिले का नाम	जारी डायरी क्रमांक	डायरी जारी करने की तिथी	अन्य विवरण

अनुलग्नक ''ब''

विभिन्न कार्यालय में प्राप्त होने वाली विद्युत चोरी की सूचना हेतु खोले जाने वाले रजिस्टर का प्रारुप

वृत कार्यालय का नाम ---------- खण्ड कार्यालय का नाम ---------- उप खण्ड कार्यालय का नाम ----------

क्रमांक	मुखबीर कोड क्रमांक	सूचना प्राप्ती दिनांक	समय	विद्युत चोरी सूचना का संक्षिप्त विवरण	सतर्कता जॉच रिपोर्ट क्रमांक	दिनांक	सूचना सही/ गलत	त्वरित भुगतान विवरण राशि	दिनांक	राजस्व निर्धारण राशि	राजस्व वसूली विवरण राशि	रसीद संख्या	दिनांक	प्रोत्साहन राशि (वसूली का 5 प्रतिशत	शेष प्रोत्साहन राशि भुगतान विवरण राशि	दिनांक

अनुलग्नक ''स''

मुखबीर को दी जाने वाली डायरी का प्रारुप

मुखबीर कोड क्रमांक : ----------

डायरी क्रमांक : ----------

डायरी जारी करने की तिथी : ----------

जारी करने वाले वृत कार्यालय का नाम : ----------

क्रमांक	सूचना दिनांक समय	जिस कार्यालय में सूचना दी गई उसका विवरण नाम	रजिस्टर क्रमांक	विद्युत चोरी सूचना का संक्षिप्त विवरण	प्रोत्साहन राशि भुगतान विवरण राशि	दिनांक	अन्य विवरण

वृत स्तर पर सूचनाकर्ता (मुखबीर) को कोड आवंटित किये जाने संबन्धी उदाहरण:-

माना कि सूचनाकर्ता श्री गंगानगर वृत के अनूपगढ़ उप खण्ड से है, अत: वर्तमान में जारी किये जाने वाले विद्युत बिलों में अपनाये गये अनूपगढ़ उप खण्ड के कोड अनुसार प्रथम सूचनाकर्ता को दिये जाने वाला कोड नम्बर 1811-01 होगा ।

इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में अनूपगढ़ उप खण्ड से सम्बन्धित अन्य मुखबिरों का पंजीयन होगा ।